भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3832
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2017/3 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

<u>वार्षिक रिटर्न भरने में कंपनियों द्वारा अनियमितताएं</u>

3832. श्री प्रतापराव जाधव :
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शेयर पूंजी वाली कंपनियों द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिटर्न संबंधी अनियमितताओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान ऐसी कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) अब तक जिन कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है उनका ब्यौरा क्या है; और
(घ) इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) से (घ): वार्षिक रिटर्न में अनियमितताओं और कंपनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन, जब कभी सूचना मिलती है, तो उनका निपटान कंपनी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

*****